

प्रारूप-5

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर में जैधार बैण्ड से माछनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की गयी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया गया है।


सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।


अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

संख्या-277/III(2)/19-10(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0।

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

बावरी संख्या... 1267
काइन नं०... 15
दिनांक... 27/7

देहरादून : दिनांक 21 जून, 2019

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

नहोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 03 कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 28.50 किमी० तथा कुल लागत रु० 176.84 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु० 176.84 लाख (रु० एक करोड़ छियत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्रति कार्य रु० 0.10 लाख अर्थात् 08 कार्यों हेतु रु० 0.80 लाख (रु० अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ट्यों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड प्राक्योरमेन्ट एक्ट-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0की0, मुनि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-12 लेखावर्ष-5054 तहकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय के निर्देशों का भी अनुपालन किया जाय-04-तहक/भवन/सेतु आदि हेतु मुनि

Photo Copy Attested

T.D. P.W.D. Srin
H.Q. - Kirtina

P.C. Anand

संस्तुत-2017 एवं उक्त के विषय में

संस्तुत-2017 एवं उक्त के विषय में

संस्तुत-2017 एवं उक्त के विषय में

संस्तुत-2017 एवं उक्त के विषय में

संस्तुत-2017 एवं उक्त के विषय में

संस्तुत-2017 एवं उक्त के विषय में

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा संतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेंक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 124/XXVII(2)/2019 दिनांक 19 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)

संयुक्त सचिव

संख्या-~~2277~~ 111(2)/19-10(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0। तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता (टिहरी-क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

सं० 1434 / 159 साल - 20/2019

दि०-24-06-20/19

(जीवन् सिंह)
उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षा अभियन्ता एवं वरिष्ठ लोक निर्माण विभाग टिहरी।

अधीक्षा अभियन्ता अस्थाई ख०5 लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. - Kirtinagar

24-6-19

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (टिहरी)
लोक निर्माण विभाग टिहरी

शा० संख्या-२२२७/ 111(2)/19-10(एम०एल०ए०)/2017टी०सी०। दिनांक २ जून, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत रिंगोली मल्ली से डांग-हलपाड़ा- कल्याणी-किमखेर-आखली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	25.26	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत जगढी से कुरौली होते हुए जाली (किमखोला) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	47.25	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पलेठी (डोबलियालों की) स्थित शिवालय तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	28.17	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत कक्कड़ पाली से बांगा पानी होते हुए लूसी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	14.87	0.10
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गहड़ में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.50	31.34	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डांब के उपग्राम पाटियों हेतु गोमुख से मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.00	3.38	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी-मणजुली मोटर मार्ग के कि०मी० 6 हे०मी० 2.4 से चौरीखाल-सिरवालडी-काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.04	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में जैधार बैण्ड से माछनी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	13.53	0.10
योग:-		23.50	176.84	0.80

(कुल रु० अस्सी हजार मात्र)

P.C. *Amrta*

उप सचिव

उप सचिव

कीर्तिनगर डि०

(जीवन सिंह)

उप सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. - Kirtinagar